भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2949
(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक संपर्क

2949. श्री हरीश चंद्र मीना:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामों/बस्तियों तक संपर्क प्रदान करने के लिए अब तक स्वीकृत सड़क कार्यों की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत, पूर्ण और वर्तमान में लंबित सड़कों की संख्या क्या है और उनकी कुल लंबाई कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के रखरखाव की गुणवत्ता जांच, तृतीय-पक्ष निरीक्षण और निगरानी के लिए कोई विशेष तंत्र स्थापित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और टोंक-सवाई माधोपुर क्षेत्र में अब तक किए गए निरीक्षणों/अवलोकनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का निकट भविष्य में उक्त निर्वाचन क्षेत्र की शेष बस्तियों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त परियोजनाओं को स्वीकृत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में निर्धारित संभावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख) "ग्रामीण सड़क" राज्य का विषय है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 से एक बारगी विशेष कार्यकलाप के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि कार्यक्रम दिशानिर्देशों में निर्धारित जनसंख्या वाली पात्र

संपर्क रहित बसावटों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण संपर्कता प्रदान की जा सके।

टोंक-सवाई माधोपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यक्रम के तहत स्वीकृत और पूर्ण की गई परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

घटक	स्वीकृत			पूर्ण		
	सड़क कार्यों की संख्या	सड़क लंबाई (कि.मी. में)	पुल	सड़क कार्यों की संख्या	सड़क लंबाई (कि.मी. में)	पुल
पीएमजीएसवाई -I	549	2,312	0	549	2,191	0
पीएमजीएसवाई -II	20	155	0	20	155	0
पीएमजीएसवाई-III	60	428	1	60	423	1
कुल	**629**	**2,895**	**1**	**629**	**2,769**	**1**

नोट:- स्वीकृत और निर्मित लंबाई के बीच का अंतर सड़क की लंबाई में कमी, संरेखण में परिवर्तन, अन्य एजेंसियों द्वारा आंशिक लंबाई का निर्माण किए जाने आदि के कारण है।

टोंक-सवाई माधोपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत सभी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। किसी विशेष संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/जिले में पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का वर्ष-वार विवरण कार्यक्रम की वेबसाइट https://pmgsy.dord.gov.in/dbweb/ पर देखा जा सकता है। इसके अलावा, किसी भी विशेष जिले/ब्लॉक में परियोजना-वार विवरण कार्यक्रम की वेबसाइट http://pmgsy.dord.gov.in -> Proposals -> State-wise List of Roads पर देखा जा सकता है।

(ग) और (घ) सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है क्योंकि वे ही कार्यान्वयन एजेंसी हैं। हालांकि, कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों और समय-समय पर उनमें किए गए संशोधनों में सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक उचित तंत्र और प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। मंत्रालय स्तर पर, पीएमजीएसवाई सड़कों की गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए, पीएमजीएसवाई के तहत एक त्रि-स्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र स्थापित किया गया है:

- गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र का प्रथम स्तर परियोजना कार्यान्वयन इकाई की आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली है।
- गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र का द्वितीय स्तर परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों से स्वतंत्र, राज्य गुणवत्ता मॉनिटरों द्वारा सभी कार्यों के समय-समय पर निरीक्षण है।
- तृतीय स्तर के तहत, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंचरना विकास एजेंसी, जिले/राज्य में सामान्य गुणवत्ता का आकलन करने के लिए, रैंडम आधार पर चुने गए सड़क कार्यों के निरीक्षण हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर तैनात करती है।

पीएमजीएसवाई गुणवत्ता निरीक्षणों को ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) का उपयोग करता है। एसक्यूएम और एनक्यूएम की श्रेणीबद्ध निरीक्षण रिपोर्टों को वास्तविक समय में दर्ज और मॉनिटर किया जाता है।

अप्रैल, 2022 से मार्च, 2026 (दिनांक 05.03.2026 तक) के दौरान टोंक-सवाई माधोपुर क्षेत्र में एनक्यूएम द्वारा किए गए निरीक्षणों और उन्हें दी गई ग्रेडिंग का ब्यौरा निम्नानुसार है:

कुल निरीक्षण	**पूर्ण कार्य**			**चल रहे कार्य**			**रखरखाव कार्य**		
	एस	**एसआरआई**	**यू**	**एस**	**एसआरआई**	**यू**	**एस**	**एसआरआई**	**यू**
17	8	0	0	7	1	1	0	0	0

एस: संतोषजनक, एसआरआई : संतोषजनक, जिसमें सुधार की आवश्यकता है, यू: असंतोषजनक

'असंतोषजनक' श्रेणी में रखे गए कार्यों के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट एनआरआईडीए में प्रस्तुत और स्वीकार कर ली गई है। जबकि 'संतोषजनक, जिसमें सुधार की आवश्यकता है' श्रेणी के कार्यों की कार्रवाई रिपोर्ट अभी राज्य द्वारा प्रस्तुत की जानी शेष है।

(ङ) भारत सरकार ने निर्धारित जनसंख्या (मैदानी क्षेत्रों में 500+, उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों/संध राज्य क्षेत्रों एवं विशेष श्रेणी वाले क्षेत्रों में 250+ तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100+ की आबादी वाली बसावटें, जो 2011 की जनगणना के अनुसार पात्र हो गई हैं) वाली 25,000 संपर्कविहीन बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करने के उद्देश्य से पीएमजीएसवाई-IV की शुरुआत की है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान कार्यान्वित की जानी है।"

पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत, राज्य द्वारा पात्र बसावटों के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, दिसंबर 2026 में राजस्थान राज्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 के बैच-I के रूप में 3,219 किमी लंबाई के 1,216 सड़क कार्य और 1 लांग स्पैन पुल स्वीकृत किया गया है।

पीएमजीएसवाई-IV के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा कार्यक्रम की वेबसाइट http://pmgsy.dord.gov.in -> Progress Monitoring -> State MPR Abstract Report पर देखा जा सकता है। टोंक-सवाई माधोपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य से पीएमजीएसवाई-IV, बैच-I, वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

*****